संख्या-13/2021/338/26-3-2021-4(358)/07 टी.सी.।।।

प्रेषक,

बी0एल0 मीणा
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 27 जनवरी 2021

विषयः वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र-2020-21 में अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार 15 फरवरी, 2021 तक डाटा उपलब्ध कराने हेतु पूर्व जारी समय-सारिणी की समयावधि कम किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3299/स0क0/शिक्षा-अ/07/28/2020-21, दिनांक-25.01.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष/ शैक्षिक सत्र-2020-21 में अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार 15 फरवरी, 2021 तक डाटा उपलब्ध कराने हेतु पूर्व से जारी समय-सारिणी की समयावधि कम किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-134/ 2020/2846/26-3-2020-4(358)/07 टी0सी0 पपप दिनांक 26 अक्टूबर, 2020 द्वारा निर्गत समय-सारिणी में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं के अवशेष नवीन (Fresh) एवं नवीनीकरण (Renewal) के छात्र/छात्राओं हेतु (केवल अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु)

क0 सं0	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	वर्तमान में निर्धारित समयावधि कक्षा 11–12 एवं अन्य समस्त दशमोत्तर कक्षाओं हेतु (2020–21)	संशोधित समयावधि कक्षा 11–12 एवं अन्य समस्त दशमोत्तर कक्षाओं हेतु (2020–21)
1	2	3	4
1	छात्र/छात्राओं द्वारा आवेदन पत्र नवीनीकरण (Renewal) न करने का कारण संस्था द्वारा आनलाइन छात्र/छात्रा के सम्मुख यथा स्थान अंकित किया जाना एवं जिलाधिकारी के निर्देशन में जनपदीय अधिकारियों, शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं कल्याण विभाग के अधिकारियों द्वारा टीम बनाकर संस्था एवं छात्र/छात्राओं का भौतिक सत्यापन किया जाना।	22 जनवरी 2021 तक	10 फरवरी, 2021 तक
2	जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11–12 हेतु) एवं सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा संस्था की मान्यता, वास्तविक छात्र संख्या आदि की प्रमाणिकता को ऑनलाईन सत्यापित करना।	22 जनवरी, 2021 तक	10 फरवरी, 2021 तक
3	PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा वापस प्राप्त किया जाना एवं एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण किया जाना।	18 जनवरी, 2021 से 02 फरवरी, 2021 तक	18 जनवरी, 2021 से 02 फरवरी, 2021 तक
4	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा शुद्ध डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना, स्वीकृत करना एवं जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से शुद्ध डाटा लॉक किया जाना।	22 फरवरी, 2021 तक	13 फरवरी, 2021 तक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

5	सन्देहास्पद डाटा को कारणों सहित छात्र, संस्था एवं कल्याण अधिकारियों के लागिन पर प्रदर्शित किया जाना एवं आनलाइन आवेदन में की गयी त्रुटियों को छात्र द्वारा ठीक करके पुनः आवेदन आनलाइन सबमिट किया जाना।	03 फरवरी, 2021 से 10 फरवरी, 2021 तक	03 फरवरी, 2021 से 06 फरवरी, 2021 तक
6	आनलाइन आवेदन पत्र की त्रुटियों को ठीक करके छात्र–छात्राओं द्वारा समस्त वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	आवेदन पत्र भरने के 02 दिन के अन्दर विलम्बतम 12 फरवरी, 2021 तक	आवेदन पत्र भरने के 02 दिन के अन्दर विलम्बतम 08 फरवरी, 2021 तक
7	छात्र/छात्रा द्वारा सही किये गये आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं संलग्न अभिलेखों से छात्र–छात्रा के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं आनलाइन आवेदन पुनः प्राप्त करना, सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	13 फरवरी, 2021 तक	09 फरवरी, 2021 तक
8	छात्र/छात्रा द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा को एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में विभिन्न निर्धारित बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण किया जाना।	14 फरवरी, 2021 से 22 फरवरी, 2021 तक	10 फरवरी, 2021 से 15 फरवरी, 2021 तक
9	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा सन्देहास्पद एवं छात्र/छात्रा द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा के सम्बन्ध में निर्णय के उपरान्त समस्त पात्र छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृत करना एवं जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से स्वीकृत डाटा लॉक किया जाना।	23 फरवरी, 2021 से 15 मार्च, 2021 तक	16 फरवरी, 2021 से 22 फरवरी, 2021 तक
10	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से मॉग सृजित कराना।	20 मार्च, 2021 तक	24 फरवरी, 2021 तक
11	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर कोषागार के ई–पेमेण्ट (e-payment) के तहत PFMS से छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खातों में सीधे धनराशि अन्तरित किया जाना।	25 मार्च 2021 तक	26 फरवरी, 2021 तक

अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त समय-सारिणी का अपने स्तर से प्रचार-प्रसार कराते हुये सुसंगत छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लखित प्राविधानों के अनुसार शैक्षिक सत्र 2020-21 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
बी0एल0 मीणा
प्रमुख सचिव

पृ0सं0-13/2021/338 (1)/26-3-2021 तददिनांकः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
7- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अशोक कुमार
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।